क्रम संख्या–53 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 11 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 21, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183/XXXVI(3)/2018/39(1)/2018

देहरादून, 11 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2018' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 15 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ — 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।
(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 2008

धारा 3 का संशोधन — 2. उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंन्शन) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "तीस हजार" रख दिये जायेगें।

धारा 4 का संशोधन — 3. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "साठ हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 क का संशोधन — 4. मूल अधिनियम की धारा 4 क में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द बारह हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन — 5. मूल अधिनियम की धारा 5 में –
(क) उपधारा (1) में शब्द "दो लाख सत्तर हजार" के स्थान पर शब्द "तीन लाख पच्चीस हजार" रख दिये जायेंगे।
(ख) उपधारा (2) में शब्द " एक लाख" के स्थान पर शब्द "दो लाख बहत्तर हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन — 6. मूल अधिनियम की धारा 11 में –
(क) उपधारा (1) में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "तीन हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का प्रतिस्थापन

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 15 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी–

राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, निवास स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिए रूपया पचास लाख से अनधिक एवं वाहन क्रय करने के लिए रूपया पन्द्रह लाख से अनधिक, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार, जैसी विहित की जाए, प्रतिसंदेय अग्रिम ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

परन्तु, उपबंध यह है कि ब्याज की दरें भारतीय स्टेट बैंक की दरों के अनुरूप होगी;

परन्तु, यह और कि यदि किसी सदस्य द्वारा दिये गये अग्रिम को ब्याज सहित वापस कर दिया गया हो तो ऐसे किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर पुनः अग्रिम की सुविधा अनुमन्य की जा सकती है।

धारा 17 का प्रतिस्थापन

9. मूल अधिनियम की धारा 17 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् "सभा का प्रत्येक सदस्य या पूर्व सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड च में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या न हो, की स्वयं तथा परिवार के सदस्यों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की दरें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा (सी0जी0एच0एस0) की दरों पर अनुमन्य होगी एवं विदेश में चिकित्सा कराये जाने की सुविधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर अनुमन्य होगी।

धारा 20 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में –

(क) उपधारा (1) में शब्द "बीस हजार " के स्थान पर शब्द "चालीस हजार" रख दिये जायेंगे।

(ख) विद्यमान परन्तुक में जहाँ शब्द "एक हजार" आया है वहाँ शब्द " दो हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 23 क के स्पष्टीकरण –2 के पश्चात् के परन्तुक का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 23 क के स्पष्टीकरण –2 के पश्चात् के परन्तुक में शब्द रूपया "दस हजार" के स्थान पर शब्द रूपया "बीस हजार" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त)

धारा 2 का संशोधन

12. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 2 की उपधारा (1) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मासिक वेतन में शब्द "चौव्वन हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख दस हजार" रख दिये जायेंगे।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009

धारा 3 का संशोधन

13. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द "पैतालीस हजार" के स्थान पर शब्द "नब्बे हजार" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "बयालीस हजार" के स्थान पर शब्द "चौरासी हजार" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "छत्तीस हजार" के स्थान पर शब्द "बहत्तर हजार" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द "तीस हजार" के स्थान पर शब्द "चालीस हजार" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 183/XXXVI(3)/2018/39(1)/2018
Dated Dehradun, April 11, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttrakhand State Legislative Assembly Miscellaneous (Amendment) Bill, 2018'** (Adhiniyam Sankhya 15 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10 April, 2018.

The Uttarakhand state Legislative Assembly Miscllaneous (Amendment) Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 15 of 2018)

Further to amend the Uttarakhand State Legislative Assembly (Members Emoluments and Pension) Act, 2008, the Uttarpradesh State Legislative (officers Salaries and Allowances) Act, 1952 (As applicable in Uttarakhand State) and the Uttarakhand Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 2009

AN

ACT

It is hereby enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-ninth year of the Republic of India as follows:-

Short Title and commencement	**1.**	(1) This Act may be called the Uttarakhand State Legislative Assembly Miscellaneous (Amendment) Act, 2018; (2) It shall be deemed to have come into force on April 01, 2017;
		The Uttarakhand State Legislative Assembly (Membes Emolument and Pension) Act, 2008
Amendment of Section 3	**2.**	In Section 3 of the Uttarakhand State Legislative Assembly (Members Emolument and Pension) Act, 2008 (herein after referred as Principal Act), in Sub-Section (1) for the words "ten thousand" the words "thirty thousand" shall be substituted.
Amendment of Section 4	**3.**	In Section 4 of the Principal Act, for the words "Sixty thousand" , the words "one lac fifty thousand" shall be substituted.
Amendment of Section 4 A	**4.**	In Section 4 A of the Principal Act, for the words "three thousand", the words "twelve thousand" shall be substituted.
Amendment of Section 5	**5.**	In Section 5 of the Principal Act- (a) In Sub-section (1) for the words "two lac seventy thousand", the words three lac twenty five" shall be substituted. (b) In Sub-section (2) for the words "one lac" the words "two lac seventy two thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 11	**6.**	In Section 11 of the Principal Act - (a) In Sub-section (1) for the words "two thousand", the words "three thousand" shall be substituted.
Amendment of Section 12	**7.**	In Section 12 of the Principal Act for the words "two thousand", the words "twelve thousand" shall be substituted.
Substitution of Section 15	**8.**	The Section 15 of the Principal Act shall be substituted as follows- The State Government may provide for grant of repayable advance of a sum not exceeding rupees fifty lac to any person who is a member, whether or not holds any office referred to in clause (f) of Section 2, or who has held office as a member of the Assembly, either for construction or purchase of housing accomodation and rupees not exceeding fifteen lacs for purchase of vehicle. Provided that the rate of interest shall be according to the rate of State Bank of India. Provided further that if advance with interest is returned by any member then facility of re-advance may be permitted on request of such member.
Substitution of Section 17	**9.**	The Section 17 of the Principal Act shall be Substituted as follows- Every member or ex-member, whether or not he holds any office mentioned in clause (f) of Section 2, rate of reimbursement of the medical expenditure of himself and the family members shall be permissiable the rates of Central Government Health Service (C.G.H.S) and facility of treatment in foreign shall be permissible on reference by the All India Institute of Medical Sciences.
Amendment of Section 20	**10.**	In section 20 of the Principal Act- (a) In Sub section (1) for the words "twenty thousand", the words "forty thousand" shall be substituted. (b) In existing provision, where words "one thousand" occurs, the words "two thousand" shall be substituted.
Amendment of Provision following after explanation 2 of Section 23 A	**11.**	In Provision following after explanation- 2 of Section 23 A of the Principal Act, for the words "ten thousand", the words "twenty thousand" shall be substituted.

The Uttar Pradesh Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 (As applicable in Uttarakhand State)

Amendment of Section 2

12. In Sub-section (1) of Section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers' salaries and Allowances) Act, 1952 (As applicable in Uttarakhand State), in context of the Uttarakhand State, in the monthly salary of Speaker and Deputy Speaker for the words "fifty four thousand", the words "One lac ten thousand' shall be substituted.

The Uttarakhand Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 2009

Amendment of Section 3

13. In Section 3 of the Uttarakhand Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous provisions) Act, 2009 (herein after referred as Principal Act)-

(a) In Sub-section (1) for the words "forty five thousand", the words "ninty thousand" shall be substituted.

(b) In Sub-section(2) for the words "forty two thousand", the words "eighty four thousand" shall be substituted.

(c) In Sub-section (3) for the words "thirty six thousand", the words "Seventy two thousand" shall be substituted.

Amendment of Section 4

14. In Sub-section (3) of Section 4 of the Principal Act, for the words "thirty thousand", the words"forty thousand" shall be substituted.

By Order,

MEENA TIWARI,
Principal Secretary.

कारण एवं उद्देश्य

उत्तराखण्ड विधान सभा के विधायकों / पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में वृद्धि के संदर्भ में तदर्थ समिति ने अपने प्रतिवेदन में संशोधन का प्रस्ताव किया है। समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2008 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वैतन, भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) तथा उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यक की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 विधायी / 213–2018–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।